संख्या-8/2026/28/60-1-2026

(सी-1874521)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 19 फरवरी**, 2026

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों को जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 व अन्य लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-945/निदे0म0क0/लेखा-बजट-पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 04.02.2026 एवं पत्र संख्या-970-71/निदे0म0क0/लेखा-बजट-पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 13.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों को जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 व अन्य लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-04-कन्या सुमंगला योजना-20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-महिला कल्याण निदेशालय-01-कार्यालय व्यय मद में धनराशि रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक-2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय मानक मद-08-कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-338-E-4-206-X-2025-26, दिनांक 19.02.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in